

सुकन्या समृद्धियोजना (SSY)

बालका बचत योजना - सरकार द्वारा समर्थित

योजना अवलोकन

सुकन्या समृद्धियोजना (SSY) भारत सरकार द्वारा वशीष्ट रूप से बालकियों के लाभ के लिए शुरू की गई एक छोटी बचत योजना है। यह छोटी बचत योजनाओं में सबसे अधिक ब्याज दरों में से एक प्रदान करती है और आकर्षक कर लाभ प्रदान करती है। यह योजना बालकियों की शक्ति और विवाह खर्चों के लिए उनके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने का लक्ष्य रखती है।

मुख्य वशीष्टताएं

वशीष्टता	विवरण
ब्याज दर	8.2% प्रतिवर्ष (वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि) छोटी बचत योजनाओं में सबसे अधिक दरों में से एक
निवेश राशि	नियूनतम: Rs. 250 प्रतिवर्ष अधिकतम: Rs. 1.5 लाख प्रतिवर्ष
अवधि	खाता खोलने से 21 वर्ष या जब तक बालक 21 वर्ष की नहीं हो जाती, जो भी बाद में हो
पात्रता	10 वर्ष से कम उम्र की बालकियों प्रति बालकि केवल एक खाता
कर लाभ	Section 80C: Rs. 1.5 लाख तक कठोरी ब्याज और परपिक्वता राशि पूरी तरह से कर-मुक्त
नकासी	बालकियों के 18 वर्ष होने के बाद 50% नकासी की अनुमति शक्ति/विवाह खर्चों के लिए
जोखमि प्रोफाइल	शून्य जोखमि - सरकार द्वारा गारंटी कृत पूरण पूँजी सुरक्षा

पात्रता

- बालकियों के समय 10 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए
- खाता धारक: माता-पति या कानूनी अभिवाक खाता खोल सकते हैं
- खातों की संख्या: प्रतिपरिवार अधिकतम 2 खाते (2 बालकियों के लिए)
- दस्तावेज: बालकियों का जन्म प्रमाणपत्र, माता-पति के KYC दस्तावेज, फोटो

SUN NATIONAL BANK

SSY योजना गाइड

नकिसी नियम

- 18 वर्ष के बाद: उच्च शिक्षा खर्चों के लिए शेष राशिका 50% नकिला जा सकता है
- विवाह: यदि बालकि 18 वर्ष के बाद विवाह करती है तो खाता बंद किया जा सकता है
- परिपक्वता: खाता खोलने से 21 वर्ष बाद या जब बालकि 21 वर्ष की हो जाती है तो परिपक्व होता है
- समय से पहले बंद: केवल खाता धारक या बालकि की मृत्यु के मामले में अनुमति

कर लाभ

- Section 80C: प्रतिवर्ष Rs. 1.5 लाख तक के योगदान कटौती के लिए योग्य हैं
- ब्याज: अर्जति ब्याज पूरी तरह से कर-मुक्त है
- परिपक्वता: पूरी परिपक्वता राशिकर-मुक्त है
- EEE स्थिति: निविश, ब्याज और परिपक्वता सभी कर-मुक्त

महत्वपूर्ण नोट्स

- खाता बालकि के 10 वर्ष की होने से पहले खोला जाना चाहिए।
- खाते को सक्रिय रखने के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम Rs. 250 का एक जमा करना होगा।
- ब्याज दर की सरकार द्वारा त्रैमासिक समीक्षा की जाती है।
- खाता एक बैंक/डाकघर से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है।
- नामांकन अनविरय है।